जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांकः–जे0एन0सी0यू0 / सा0प्र0 / 6525 / 2024 दिनांकः 26 जून, 2024

कार्यालय आदेश

एतद्वारा माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांकः 26 जून, 2024 के अनुपालन में **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना (छात्रों की शिकायत का निवारण), दिनांकः 11 अप्रैल 2023 के 'बिन्दु संख्या 06'** में विहित प्राविधानों के आलोक में पूर्व नामित लोकपाल (Ombudsman) डॉ0 गणेश कुमार पाठक, अ0प्रा0 प्राचार्य, अमरनाथ मिश्र पी0जी0 कालेज, दूबे छपरा, बलिया के त्यागपत्र देने के फलस्वरूप **प्रो0 सुरेन्द्र प्रताप सिंह, पूर्व कुलपति, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार** एवं **लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ** को जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया का लोकपाल (Ombudsman) नियुक्त किया जाता है।

लोकपाल का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि के लिए अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने (इनमें जो भी पहले हो) तक होगा तथा एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र होगा। लोकपाल द्वारा उक्त विनियम में विहित व्यवस्थानुसार छात्र शिकायत निवारण समिति (एस0जी0आर0सी0) के निर्णयों के विरूद्ध की गयी अपीलों को सुनकर उन पर निर्णय लिए जाने की कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों के शिकायत का निवारण) विनियम 2023 की छायाप्रति।

भवदीय,

(एस0एल0 पाल)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. माननीय कुलपति जी।
2. प्रो0 सुरेन्द्र प्रताप सिंह, पूर्व कुलपति, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार एवं लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. वित्त अधिकारी, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
4. निदेशक शैक्षणिक, विश्वविद्यालय परिसर।
5. प्राचार्य/प्राचार्या, सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय, जननायक चन्द्रशेखर वि0वि0, बलिया।
6. जनसम्पर्क अधिकारी, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
7. प्रभारी वेबसाईट को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव